

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
बौना भत्ता के लिए निःशुल्क आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. शिनाख्ती चिन्ह _____
4. आवेदक की ऊँचाई/कद _____
5. आवेदक का जन्म किस वर्ष _____ आयु _____ में हुआ ?
6. आवेदक सामान्य श्रेणी/अनुसूचित जाति/ पिछड़े वर्ग किस में से सम्बन्धित है ? _____
7. पता जिस पर पेंशन लेने का इच्छुक है। _____
8. (क) आवेदक हरियाणा राज्य में कब से रह रहा है। _____
- (ख) पता जहाँ पर रह रहे हैं। _____
- (ग) क्या आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवासी है। _____
- (घ) आजकल आप किसके साथ रह रहे हैं। _____
9. चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाएँ। _____
10. क्या आवेदक किसी और स्रोत से पेंशन/विस्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा। _____



आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/कु० _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री _____
निवासी _____ डाकखाना _____ तहसील _____

जिला _____ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दिया गया ब्यौरा मेरे ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि उपरोक्त विवरण में से कोई भी बात गलत पाई जाती है तो मैं भत्ता में मिली सारी राशि सरकार को दण्ड सहित भुगतान करने का उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

अतः मैं अपने साधनों से अपना गुजारा करने में असमर्थ हूँ। मुझे सरकारी सहायता दी जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

सत्यापित

राजपत्रित अधिकारी/प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित
(सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम तथा पद सहित)

